

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत दीवानी अदालत की
शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

समन

छटा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली- 110003

फाइल सं. - NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II (SSW)

सेवा में,

श्रीमती सोम मंडल

अध्यक्ष

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया .

लोधी रोड , नई दिल्ली-110003.

क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निमंलिखित मामले का अन्वेषण का निश्चय किया है , अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 08.09.2021 को 11:00 AM बजे आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जाँच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें |

मामले का संदर्भ

1. बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्याचार, नौकरी से डिसमिस, मर्डर की धमकी देने तथा डॉ. अंबेडकर साहब को गली गलौज के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सम्बन्ध में श्री राम खिलाडी मीना, अनाधीशाषी का अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2021
2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 03.08.2021

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के एस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे |

03 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से किया गया।

मोहर



plc
जारी किया
ISSUED

4456
6/9/21

इस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003